

27/3/25

पतावली पेमा ई। अधिवक्ता उच्च पक्षकारा मय
 उच्च पक्षकारा उच. | प्रकरण में अधिवक्ता
 उच्च पक्षकारा मय पक्षकारा एरा उच. का मन्तव्य
 फल फेर मर अस्थायी प्रवेद्याला जायेगा फल पक्ष
 २ नरिने किले जाने का निवेदन किया। अधि.
 उच्च पक्षकारा द्वारा पक्षकारा की पहचान
 की गई। प्रकरण में मूल वाद एवं काउन्टर युथिबेट
 वाद किसे किया जा चुका है जिससे भी इस
 प्रकरण में कोई आर्थिकी शोच नहीं रहती है।
 क्रम: आ-पत्र 212 ए-आ-अधि. का एवं काउन्टर
 उच. फल वही स्तर पर हीप किया गया ID By me
 है। प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी
 निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पतावली फेसल सुमार
 लेकर नम्बर से कर ले।

जय श्री जगतेश्वर सुभाषा मया |

